रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052021-227224
CG-DL-E-28052021-227224

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

सा.का.नि. 350(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों में चूना भट्टियों में पेट कोक के विक्रय और उपयोग को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत पेट कोक का विक्रय केवल उक्त अधिसूचना में अनुबंध के रूप में संलग्न सूची में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों को ही किया जाता है, और उक्त सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से ही किया जाएगा;

और, राजस्थान की राज्य सरकार की सिफारिश पर, केंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के उपाबंध में और 2 चूना भट्टियों को जोड़ने तथा 2 चूना भट्टियों के ब्यौरे में संशोधन करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध में, -

(i) क्रम संख्या 106 और 117 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"106.	सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड	के.नं. 155,155/1,157, 158/3, 159/5, 159/6, 164, बसनी हरि सिंह, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर, राजस्थान	1	9000	18000	1800"
"117.	मैसर्स महावीर केमिकल्स	के. नं. 165/929, मानकपुर, मुंडवा, तहसील–मेर्टा, जिला-नागौर, राजस्थान	1	600	1850	120"

(ii) क्रम संख्या 444 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"445.	मैसर्स पुष्प लाइम इंडस्ट्रीज	के. नं. 548, भवांडा, तहसील-खिन्वसर, जिला-नागौर, राजस्थान	2	1700	3700	340
446.	मैसर्स स्काइलार मिनरल्स	के. नं. 882/552, टाडावास, तहसील-खिन्वसर, जिला-नागौर, राजस्थान	2	1700	3400	360"

[फा.सं. क्यू-16017/04/2018-सीपीए (भाग)]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को संख्या सा.का.नि. 45(अ), तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 495(अ), तारीख 25 मई, 2018, सा.का.नि. 397(अ), तारीख 31 मई, 2019, सा.का.नि. 906(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019, सा.का.नि. 113(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 714(अ), तारीख 13 नवंबर, 2020 और सा.का.नि. 46(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

G.S.R. 350(E).—Whereas, sale and use of pet coke in lime kilns in the National Capital Region (NCR) States was notified *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018, wherein sale of pet coke are made only to the industrial units mentioned in the list annexed to the said notification as Annexure, and any change in the said list shall be made on the recommendation of the concerned State Government and with the approval of the Central Pollution Control Board;

And whereas, on the recommendation of the State Government of Rajasthan, the Central Pollution Control Board has approved further addition of 2 lime kilns and amendment in the details of 2 lime kilns in the Annexure of the notification mentioned above.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification, namely:-

In the said notification, in the Annexure, -

(i) for serial numbers 106 and 117 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted respectively, namely: -

"106.	Sigma Minerals Limited	K.No.155, 155/1, 157, 158/3, 159/5, 159/6, 164 Basni Harisingh, Tehsil-Bhopalgarh, District Jodhpur, Rajasthan	1	9000	18000	1800"
"117.	M/s. Mahaveer Chemicals	K.No. 165/929 Manakpur, Mundwa, Tehsil Merta, District Nagaur, Rajasthan	1	600	1850	120"

(ii) after serial number 444 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:-

"445.	M/s. Pushp Lime Industries	K.No. 548, Bhawanda, Tehsil-Khinvsar, District Nagaur, Rajasthan	2	1700	3700	340
446.	M/s. Skylar Minerals	K. No. 882/552, Tadawas, Tehsil- Khinvsar, District-Nagaur, Rajasthan	2	1700	3400	360"

[F. No. Q-16017/04/2018-CPA(pt)]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note: The principle notification was published *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 19th January, 2018 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 495(E), dated the 25th May, 2018, G.S.R. 397(E), dated the 31st May, 2019, G.S.R. 906(E), dated the 12th December, 2019, G.S.R. 113(E), dated the 14th February, 2020, G.S.R. 714(E), dated the 13th November, 2020 and G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.28 21:07:05 +05'30'